क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांक: 10/07/2026

खुली निविदा सूचना 01/2026–27

क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण को वित्तीय वर्ष 2026–27 तक की अवधि हेतु दर अनुबंध पर मानव संसाधन सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (GST), आय कर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हो, से डबल कवर सिस्टम (तकनीकी–वाणिज्यिक/क्वालिफाइंग बिड व वित्तीय/प्राईस बिड) के अन्तर्गत मुहरबद्ध खुली निविदाऐं आमंत्रित की जाती है:–

क्र. सं.	कार्य का नाम (अनुबन्ध आधार पर सेवाऐं उपलब्ध करवाने हेतु)	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये)	निविदा शुल्क (Non Refundable)	बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	तकनीकी एवं वित्तीय निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय
1	02 कम्प्युटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक	9.00लाख	रूपये 500/–	रूपये 18000/–	20.07.2026 (दोपहर : 01:00 बजे तक)	21.07.2026 (दोपहर : 02:00 बजे)
2	02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी					
3	01 क्षेत्र सहायक					
4	प्रयोगशाला परिचारक					
5	01 सफाई कर्मचारी (अंशकालीन)					

1. उपरोक्त निविदा प्रपत्र दिनांक 13.07.2026 से 20.07.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित समय में प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड करने पर बोली प्रपत्र शुल्क की राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जो कि **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Jodhpur Rural (Payable at Jodhpur)** के पक्ष में प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क **Non Refundable** है तथा बोली शुल्क के अभाव में निविदा पर विचार नही किया जाएगा एवं प्रस्तुत निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
3. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur Rural, Payable at Jodhpur** के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
4. निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्तो सम्बन्धी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी सामान्य कार्य दिवस में आकर एवं विभागीय वेबसाईट खुली बोली आमंत्रणसूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज, विभागीय वेबसाईट **http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb** एवं **www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी/प्राप्त की जा सकती है।
5. इस निविदा की **NIB No. PCB2627A0039** एवं **UBN No. PCB2627SSOB00039**

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
क्षेत्रीय अधिकारी
जोधपुर -(ग्रामीण)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान ए.सी.पी.(आई.टी.सेल), राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि खुली निविदा को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण।

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांकः

बोली प्रपत्र– मानव संसाधन की सेवाओं का उपापन NIB 01/2026-27

प्रपत्र–अ तकनीकी निविदा

कार्य का नाम – कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, क्षेत्र सहायक, प्रयोगशाला परिचारक एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) की सेवाऐं किराये पर लिये जाने हेतु।

सन्दर्भः– क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण की खुली बोली सूचना संख्याः–01/2026–27 दिनांकः– ....

1. बोलीदाता/संवेदक का नाम ....
2. डाक का पता ....
....
3. फोन/मोबाईल नं0 ....
4. ई–मेल ....
5. बैंक का नाम :– ....
IFSC CODE..............................
खाता संख्या :–..............................

6. किसको संबोधित किया गया है: क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,जोधपुर ग्रामीण।
7. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रू 500/– **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur Rural (Payable at Jodhpur)** के पक्ष में बैंकर चैक/डी०डी० द्वारा जमा करा दी गई/संलग्न है। निविदा प्रपत्र शुल्क **Non Refundable** है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	संख्या	जारी दिनांक	जारी कर्ता बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रू०
1				

8. निविदा के अनुसार बोली प्रतिभूति (Bid security) के रूप में राशि **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jodhpur Rural** के पक्ष में Payable at Jodhpur का बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	संख्या	जारी दिनांक	जारी कर्ता बैंक एवं शाखा का नाम	राशि रू०
1				

9. निविदा बोली प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्ते स्वीकार है, तथा उप पर हस्ताक्षर कर दिये गये है।
10. कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक एवं सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) हेतु दरे प्राईस शिड्यूल में अंकित कर दी गई है।
11. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में देय डी.डी./बैंकर चैक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
12. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजिकरणों का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजिकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी:–

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांकः 10/07/2026

बोलीदाता/संवेदक द्वारा किसी केन्द्र/राज्य/स्वायत्त संस्थाऐं/निगम/मण्डल/समिति/आयोग में कम्प्यूटर, प्रिन्टर मय प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाला परिचारक/ सफाई कर्मचारी) का कम से कम तीन वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है। जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्केन कर बोली दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

क्रम संख्या	विभाग/ संस्थान का नाम	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाला परिचारक /सफाई कर्मचारी) का आदेश विवरण एवं संख्या	उपलब्ध कराये गये कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक/मेनपावर (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ क्षेत्र सहायक/ प्रयोगशाला परिचारक /सफाई कर्मचारी) की समयावधि	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण का अंकन
1	2	3	4	5

13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है।
14. निविदा खोलने की दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होना/कार्यालय परिस्थिति के आधार पर निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी।
15. राज्य में दिनांक 26.01.2013 से राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम– 2012 व नियम – 2013 प्रभावशील है। अतः इस निविदा पर इस अधिनियम व नियम के सभी नवीनतम प्रावधान प्रभावशील होगें।
16. संलग्न प्राईज शिड्यूल में वर्णित दरें बोली स्वीकृति दिनांक से वित्तीय वर्ष 2026–27 की समाप्ति तक मान्य होगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा।
17. बोली निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अनुबन्धित कार्मिकों की संख्या को कार्यालय आवश्यकतानुसार घटाया/बढ़ाया जा सकता है एवं बोलीदाता/संवेदक को उक्त कार्मिक निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध करवाने होगें।
18. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र, जोधपुर जिला (राजस्थान) होगा।
19. पूर्व में किये गये कार्य का कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्र से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।
20. मैं/हम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण द्वारा जारी की गई खुली बोली निविदा सूचना क्रमांक 01/2026–27 दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों मे दी गई उक्त खुली बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांक:

बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्व–हस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ संलग्न करनी होगी।

क्र.सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	पंजीकरण की विधिमान्य अन्तिम दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970					
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952					
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948					
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)					
5.	आय कर (पैन नम्बर)					
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत					
7	प्रमाणित बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।					
8	फर्म होने की दशा में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र					

21. खुली बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण** के नाम बनाना होगा, जो तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा।
22. खुली बोली (तकनीकी वाणिज्यिक/क्वालिफाईंग बिड) दिनांक 21.07.2026 को दोपहर 02.00 बजे **"क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मंडल, जोधपुर ग्रामीण "** कक्ष में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल पाये गये संवेदकों की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।
23. किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित हैं।
24. वित्त विभाग (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा। अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।
25. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) में वित्तीय वर्ष का औसत न्यूनतम टर्नओवर 20 लाख होना चाहिये, जिसके समर्थन में चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा यू.डी.आई.एन. नम्बर सहित वर्षवार टर्नओवर स्टेटमेन्ट कीप्रति तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

26. श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा कार्मिकों की दरों में परिवर्तन होने पर न्यूनतम दर की अन्तर राशि का ही भुगतान किया जावेगा किन्तु सर्विस चार्ज की राशि में कोई बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।
27. संस्था द्वारा नियोजित कार्मिक को श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित न्यूनतम राशि से कम भुगतान किये जाने पर संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
28. निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ विगत 4 माह (मार्च, 2026 से जुन 2026 तक) की EPF एवं ESI में कम से कम 15 व्यक्तियों का अंशदान जमा होना अनिवार्य है, जिसके समर्थन में उक्त 4माह की EPF की पेमेन्ट कन्फर्मेशन रिपोर्ट एवं ESI की माहवार समरी (Month Wise Summary) की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करनी होगी।
29. निविदादाता द्वारा ESI, EPF, GSTमें पंजीकरण के पश्चात उक्त पंजीयन बीच में कभी भी निरस्त अथवा बन्द नहीं होने का संस्था के लेटरहैड पर शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
30. जीएसटी पोर्टल से Nature of Business की सूची, BRN की छायाप्रति एवं फर्म का जुन 2026 के अकाउन्ट स्टेटमेन्ट की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करें।
31. बोली प्रपत्र के साथ समस्त अनुलग्नक हस्ताक्षरित कर, संलग्न कर दिये गये है।
32. मैं/हम क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना........................ दिनांक .... में वर्णित समस्त शर्तों तथा संलग्न प्रपत्रों Annexure A,B,C,D,E,F, (जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें उल्लिखित शर्तों को मेरे/हमारें द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में मैनें/हमनें हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त बोली सूचना की समस्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है। साथ ही इस बात पर भी सहमति देते है कि मेरे/हमारे द्वारा बोली के साथ संलग्न किये गये समस्त दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जाँच मेरे/हमारें द्वारा अपने स्तर पर कर ली गई है। सभी दस्तावेज विधिक/प्रक्रियात्मक एवं मौलिक रूप से सहीं है। यदि बोली प्रक्रिया के पश्चात् किसी भी स्तर पर उक्त दस्तावेजों की प्रामाणिकता असिद्ध होती है तो इसके लिए मैं/हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहेंगे एवं इसके लिए विभाग किसी भी स्तर पर किसी भी समय बिना नोटिस दिये हमारी बोली/अनुबंध को निरस्त करने/हमारे विरूद्ध कानून/विधि समस्त दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांक:

खुली–बोली की मुख्य शर्तें

General terms & conditions of Bid &Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Pubilc procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
2. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार तकनीकी व वित्तीय निविदाओं को अलग–अलग उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द कर, उक्त लिफाफो को एक बडे लिफाफे में बन्द करना होगा। लिफाफों पर **"कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/क्षेत्र सहायक/प्रयोगशाला परिचारक/सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर) किराये पर लिये जाने हेतु निविदा" अंकित कर उसे क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय "राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जोधपुर ग्रामीण"** को सम्बोधित करते हुए रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में पहुँच जावे।
3. निविदा प्रारूप स्याही/टंकण से ही भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। दरें शब्दों एवं अंको में अलग–अलग लिखी जावेगी, यदि दरे शब्दो एवं अंको में अलग–अलग दर्शायी जाती है तो राजकीय हित में दोनो में से जो कम होगी, वही दर मानी जायेगी। इसमें कोई त्रुटिया/उपरिलेखन नहीं होगा चाहिये। निविदाओं में किसी भी प्रकार की कटिंग एवं करेकशन स्वीकार्य नहीं होगा।
4. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
5. निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदा फॉर्म के साथ निविदा शुल्क राशि **500/– (पाँच सौ रूपये)** होगी।
7. बोली प्रतिभूति राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैंक ही स्वीकार किये जायेंगे, जो कि **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Rajsamand, Payble at Jodhpur Rural** के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
8. अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर नियमानुसार स्टॅाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
9. विवादास्पद मामलों में मण्डल निर्णय अनुसार राशि रोकी जायेगी तथा उस विवाद का निपटारा निविदादाता के पक्ष में होने पर ही उसका भुगतान दिया जायेगा।
10. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनिमय 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
11. निविदा प्रपत्र पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर प्रस्तुत करने पर ही निविदा स्वीकार की जायेगी। निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

12. कार्य का अनुभव रखने वाली (अनुभव संबंधी दस्तावेज संलग्न किया जावे) पंजीकृत फर्म/व्यक्तियो द्वारा ही निविदाएं भरी जावेगी। फर्म होने की दशा में पंजीकरण की प्रति निविदा के साथ संलग्न होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी।
13. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए तकनीकी बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
14. निविदादाता/संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर डिस्प्ले बोर्ड लगाये जायेगे, जिन पर निविदादाता/संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिको हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं निविदादाता/संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नही करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रुप से अंकित किया जाएगा। ठेके पर उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की सूची नाम, पते सहित सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी तथा समय समय पर ठेके कर्मियों के परिवर्तन किये जाने/हो जाने की दशा में क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करना होगा। प्रत्येक कर्मचारी के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।
15. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
16. अनुबंधित बोलीदाता/संवेदक द्वारा दर संविदा के चालू होने रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत को कम करता है तो उस संविदा के अधीन, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः इस कार्यालय में कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी।
17. ठेकेदार को मासिक भुगतान संतोषप्रद कार्य होने पर किया जाएगा। कार्यसम्पादन के संतोषप्रद होने का मापदण्ड इस कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी का होगा। क्षेत्रीय अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबंध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में 07 दिवस का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकें इस बारे में अनुबंधकर्ता किसी भी हर्जे खर्जे की मांग नहीं कर सकेगा। किसी शिकायत अथवा ठेकेदार की लापरवाही पर क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उचित कटौती कर भुगतान किया जा सकेगा, अधिक शिकायत होने पर कटौती में वृद्धि की जा सकती है। कार्य के अत्यधिक असंतोषप्रद होने पर या फर्म द्वारा इसमें सुधार न करने की स्थिति में क्षेत्रीय अधिकारी अन्य संविदा कर्मियो को लगाकर उनसे कार्य करवा लिया जावेगा, जिसका खर्चा ठेकेदार के बिल से काट लिया जावेगा एवं 07 दिवस के नोटिस से अनुबन्ध को निरस्त भी किया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या प्रशासन के निर्देषो की पालना नही की जाती है तो अनुबंध भंग करना माना जावेगा तथा ऐसी स्थिति में ठेका समाप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार **क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण** को होगा।
18. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
19. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
20. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति, EPF पेमेन्ट की ECR एवं PCR, ESI की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

Month wise Summary प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

21. विभाग किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिये न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
22. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
23. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
24. निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिको को निविदादाता द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान कार्ड लगाना पहनना आवश्यक होगा। निविदादाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियो हेतु निविदादाता स्वयं उतरदायी होगा।
25. ठेकेदार की ठेका अवधि के दौरान संविदा पर कार्यरत सभी संविदाकर्मियां की कार्यालय परिसर में उसकी ड्यूटी के दौरान एवं ड्यूटी पर आने जाने के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके लिए मण्डल उतरदायी नही होगा। इस निविदादाता अपने स्तर पर कामगारों को आवश्यक व उचित रूप से बीमा करवाने का बाध्य होगा।
26. कर्मचारी द्वारा कार्य न करने, ताश खेलने, कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने, धूम्रपान—गुटका—पान—शराब एवं किसी भी प्रकार का व्यसन लेने तथा अनपेक्षित आचरण एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
27. स्वीकृत ठेके की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी भी तरह की बकाया निकाली जाती है तो उसे जमा करने हेतु बाध्य रहेगें।
28. सफल निविदादाता द्वारा पूर्व में कार्य व्यवहार मे दोषी पाये गये कार्मिको को नहीं रखा जायेगा।
29. क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ठेकेदार के संविदा पर लगे कर्मचारियो के बिलो के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी कर्मचारियो को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। कर्मचारियो को ठेकेदार द्वारा हर माह की 7 तारीख तक भुगतान किया जायेगा। देरी से भुगतान करने पर 500/— प्रतिदिन के हिसाब से क्षेत्रीय कार्यालय में शास्ति पैनेल्टी की राशि जमा करवानी होगी।
30. कर्मचारी के कार्यस्थल पर अनुपस्थित पाये जाने पर भुगतान काटा जायेगा तथा ठेकेदार से पेनेल्टी के रूप में 500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान काटा जायेगा।
31. अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोड़ता है व कर्मचारियो को भुगतान नहीं करता है या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस निविदा से हटाया जा सकता है उसकी समस्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओ में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय,रा.रा.प्र.नि.म., जोधपुर ग्रामीण को होगा।
32. **न्यूनतम निविदा दरे एक से अधिक निविदादाताओं की समान प्राप्त होने की स्थिति में :—**
न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरो की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जायेगा। क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति स्वविवेक से परीक्षण कर इस कार्य हेतु पात्र संस्थाऐं, कार्य करने की क्षमता, Annual Turnover, स्थानीय परिस्थितियों, कार्य अनुभव आदि को मद्देनजर रखते हुए उपापन समिति की सुविधानुसार गुणावगुण के आधार पर किसी भी न्यूनतम दर दाता की निविदा स्वीकृति का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहेगी। इस संबंध में कोई वाद विवाद स्वीकार नही होगा और न ही क्षेत्रीय कार्यालय की उपापन समिति अन्य निविदादाताओं को इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी।
33. निविदादाता द्वारा स्वस्थ एवं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया फिट 18 से 60 वर्ष की उम्र के व्यक्तियों को ही लगाया जायेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का निविदादाता द्वारा नियोजन नही किया जायेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

34. सशर्त निविदाएं स्वीकार नही होगी।
35. निविदादाता स्वयं /उसके द्वारा लगाये गये कार्मिको के संबंध में समस्त कानूनी दायित्व/श्रम कानून के पालना की जिम्मेदारी निविदादाता की रहेगी।
36. किसी भी विवाद के समय क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण का निर्णय अंतिम होगा, जो पूर्णतया मान्य एवं मंजूर होगा।
37. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।
38. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये इस विभाग के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
39. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
40. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
41. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
42. न्यूनतम बोलीदाता (L-1) द्वारा कार्य करने में असमर्थ होने पर समान दर पर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता (L-2) को कार्य दिया जा सकेगा तथा न्यूनतम बोलीदाता (L-1) से बोली प्रतिभूति राशि /सम्पादन प्रतिभूति राशि जप्त की जाकर राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
43. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास की कालावधि के लिए बढाई जा सकेगी।
44. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
45. ***मानव संसाधन कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का अधिकारी नहीं होगा। कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक/अन्य संविदा कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर सम्बन्धित कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।***
46. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
47. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।
48. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।
49. बोलियों का अपवर्जन :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

50. बोली प्रतिभूति राशि **"क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण"** के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (forfeiture of Bid Security) बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–
   - (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है ।
   - (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।
   - (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चातकार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।
   - (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता हैं।
   - (ङ.) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

51. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) :–
   - (अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 05 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 5 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Jodhpur Rural (Payable at Jodhpur)** के नाम पर जमा करानी होगी 500 रूपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र पर निष्पादन करना होगा।
   - (ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

52. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा:–
   - (क) जब संविदा की शर्तो का उल्लधंन किया गया हो ।
   - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
   - (ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

53. भुगतान:–
   - (i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल **दो प्रतियो** में इस कार्यालय में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा । अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 05 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

54. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):–परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए –5%

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए –7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ङ.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10%होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है,तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

55. ***वित्त (G&T) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 के अनुसार प्लेसमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जावेगा, अतः प्लेसमेन्ट एजेन्सी इस उपापन हेतु पात्र नहीं होगी।***

56. प्रशिक्षित कार्मिक के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

57. बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता से सम्पर्क किया जा सकता है।

58. उपर्युक्त शर्तो में किसी भी शर्त में शिथिलता देने या हटाने या नई शर्तो को जोडने का पूर्ण अधिकार क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियत्रंण मण्डल, जोधपुर ग्रामीण को होगा। बोली के निर्वचन के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम..

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांक:

कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक का विवरण, जॉब/कार्य एवं विशिष्ट शर्तें

1. **Computer System -Includs the following items with specifications :**
   a. Computer - Intel Core i3/i5(8th Gen & above) Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 20" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000Mbps LAN Card, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 10 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.
   b. Printer - Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For specific needs, Dot Matirix/inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

2. **Trained Personnel**
   A - The Personnel should be Graduate, should have knowledge to operate computer in Windows/Linux environment, good knowledge/practice in Word Processor, Spread Sheets and Internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English
   B - The Personnel shall have at least two years experience of typing in Hindi and English

3. **जॉब/कार्य :– कम्प्यूटर प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) का जॉब/कार्य का विवरण इस प्रकार है।**

1. सामान्यतः कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य करना होगा। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी दिन अतिरिक्त समय भी कार्मिक को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में पर्याप्त गति से टंकण कार्य एवं प्रिन्टिंग करना।
3. डाटा एन्ट्री का कार्य करना।
4. एम.एस.वर्ड, एम.एस. एक्सल, पावर पॉइन्ट आदि में कार्य करना।
5. ई–मेल करना/प्राप्त करना।
6. विभिन्न पोर्टल/मोड्यूलस में सूचनाओं को अपलोड एवं अद्यतन करना।
7. ई–गवर्नेंस में कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित संबंधित कार्य करना।
8. संबंधित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं से संबंधित एवं सूचना तकनीक से संबंधित अन्य आवंटित कार्य करना।

विशिष्ट शर्तें –

1. कार्यालय में होने वाले कार्य व ऑपरेटर की कुशलता को ध्यान में रखते हुऐ उपापन समिति/मुल्याकन समिति द्वारा सफल बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों के चयन का आधार निम्नानुसार रहेगा:–

टाईप टेस्ट	हिन्दी में न्यूनतम स्पीड 20 शब्द/प्रति मिनिट	10 अंक	न्यूनतम 06 अंक लाना अनिवार्य
	अग्रेंजी में न्यूनतम स्पीड 25 शब्द/प्रति मिनिट	10 अंक	न्यूनतम 06 अंक लाना अनिवार्य
साक्षात्कार	कम्प्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी	10 अंक	न्यूनतम 6 अंक अनिवार्य
	मैल एवं बल्क मैल, एक्सल, वर्ड एवं अन्य वर्ड प्रोसेसिंग की जानकारी	10 अंक	न्यूनतम 6 अंक अनिवार्य
योग		**40 अंक**	**न्यूनतम 24 अंक अनिवार्य**

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886– 887 दिनांकः 10/07/2026

2. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बिल सत्यापन उपरान्त बोलीदाता के खाते में किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
3. किसी भी माह के चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्युटर बन्द नहीं रखा जावेगा इससे अधिक कम्प्युटर बंद रहने पर 200/– रूपये प्रतिदिन की दर से नियमानुसार कटौती की जायेगी।
4. विशेष परिस्थितियों मे यह विभाग इस चार दिन की अवधि को बढा सकता हैं जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे, एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह बोलीदाता को अन्यत्र स्वंय के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
5. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
6. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (इस विभाग व बोलीदाता) द्वारा **जोधपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी**, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
7. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कम्प्यूटर के डेटा को सुरक्षित रखेगा तथा कम्प्यूटर को बदलने या हटाने की स्थिति में उक्त डेटा को विभाग को संभलवायेगा तथा कम्प्यूटर सिस्टम से डिलिट किया जायेगा।
8. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा डेटा की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति डेटा का प्रकटीकरण नहीं करेगा। डेटा से छेडछाड/रद्दोबदल/धोखाधडी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
9. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) कार्यालय में गरिमा बनाये रखेगा, सद्व्यवहार करेगा एवं धूम्रपान नहीं करेगा तथा सिंगल युज प्लास्टिक के प्रतिबंध नियमों का पालन करेगा।
10. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) अवैध गतिविधि/अनैतिक कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा। उक्त कार्मिक का चाल–चलन एवं चरित्र अच्छा होना चाहिए।
11. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा अपेक्षित जॉब/कार्य नहीं करने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा 2 दिवस में उसके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक/(ऑपरेटर) उपलब्ध करवायेगा।
12. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर धूम्रपान करने/अशिष्ट या दुर्व्यवहार करने/गंदगी फैलाने/नशाखोरी करने पर तत्काल प्रभाव से उसे हटा दिया जावेगा तथा संवेदक/बोलीदाता द्वारा उक्त कार्मिक को इस उपापन संस्था से अनुबंधित अन्य स्थान या अधिकारी के यहां भी नहीं लगायेगा जबकि अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की उनके स्थान पर लगाने की तत्काल व्यवस्था करेगा।
13. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य छोडने/स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने पर संवेदक/बोलीदाता द्वारा उनके स्थान पर अन्य प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) लगाये जाने की तत्काल व्यवस्था करनी होगी।
14. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) द्वारा कार्य स्थल पर लैंगिक भेदभाव या उत्पीडन करने/अवैध गतिविधि या अनैतिक कार्य में संलिप्तता की शिकायत प्राप्त होने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा उसके विरूद्ध निमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
15. प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम– / सामा.15 / खुली निविदा–01 / 26–27 / दिनांकः

16. संवेदक / निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रशिक्षित कार्मिक (ऑपरेटर) की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करनी होगीः–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पिता / पति का नाम	योग्यता	निवास पता मय मोबाईल नं.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ईएसआई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	आधार नं.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com © 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांकः 10/07/202

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का विवरण, जॉब/कार्य/शर्ते

1. सामान्यतः कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक कार्य करना होगा। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुये किसी भी दिन अतिरिक्त समय भी कार्मिक को कार्य करना होगा इसके लिए अलग से कोई मानदेय भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. कोई भी कर्मचारी किसी भी स्थिति में बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकता है। सभी कर्मचारियों को कार्यालय की गोपनीयता एवं सुरक्षा बनाये रखनी होगी। बिना अनुमति किसी भी सूचना का मौखिक या लिखित प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा। कार्यालय के कागजात एवं अन्य सामग्री से छेड़छाड़/रद्दोबदल/धोखाधड़ी करने पर उसको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जावेगा तथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
3. राज्य सरकार द्वाराचतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
4. प्रतिदिन 9 बजे उपस्थित होकर सम्पूर्ण कार्यालय परिसर में टेबल कुर्सियों की साफ सफाई, कागजात/पत्रावलियों को निर्देशानुसार व्यवस्थित करना, कार्यालय कार्मिकों तथा आगंतुकों हेतु जल–पान–आतिथ्य की निर्देशानुसार व्यवस्था करने, कार्यालय परिसर को व्यवस्थित करना, आदि।
5. अन्य कोई कार्य जो क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा बताया जाये।
6. संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित अन्य कार्य करना।
7. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
8. संवेदक/निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करनी होगीः–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	निवास पता मय मोबाईल नं.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ईएसआई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	आधार नं.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांकः

सफाई कार्मिक (अंशकालीन आधार पर) काविवरण, जॉब/कार्य/शर्तें

1. सफाई कार्मिक को प्रतिदिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यालय समयानुसार (अंशकालीन आधार पर) ड्यूटी देनी होगी। कार्यालय में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी समय कार्य करना होगा तथा इसके लिए अलग से कोई मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
2. कोई भी कर्मचारी किसी भी स्थिति में बिना पूर्व सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित नहीं रह सकता है।
3. कार्यालय साफ–सफाई कार्य हेतु आवश्यक सामग्री उपापन संस्था द्वारा ही उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसका लेखा–जोखा निविदादाता को रखना होगा एवं पूर्व में उपलब्ध करवाई गई सामग्री के उपयोग का पूर्ण विवरण कार्यालय को दिये जाने पर ही नवीन सामग्री कार्य प्रयोजनार्थ दी जावेगी। दी गई सामग्री में किसी भी प्रकार की कमी–पेशी की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता की रहेगी।
4. क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में एकत्रित कचरे को किसी भी स्थिति में परिसर में नही जलाया जायेगा। शर्त का उल्लंघन दण्डनीय होगा।
5. बोलीदाता के सफाई कार्मिक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति बोलीदाता को करनी होगी।
6. ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश, खेलना अथवा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण नहीं करेगा।
7. सफाई कार्मिक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर क्षेत्रीय कार्यालय निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
8. सफाई कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. राज्य सरकार द्वारा सफाई कार्मिक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम बोलीदाता को मान्य होगे।
10. संबंधित अधिकारी द्वारा आवंटित सफाई संबंधी अन्य कार्य करना।
11. सफाई कार्मिक (अंशकालीन आधार पर) के चाल–चलन एवं चरित्र का पुलिस सत्यापन करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी।
12. संवेदक/निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले सफाई कार्मिक (अंशकालीन आधार पर) की निम्नलिखित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करनी होगीः–

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	निवास पता मय मोबाईल नं.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ईएसआई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	आधार नं.

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांक:10/07/2026

क्षेत्र सहायक कार्मिक की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट नियम एवं शर्ते

1. क्षेत्र सहायक कर्मचारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
2. किसी भी क्षेत्र सहायक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य क्षेत्र सहायक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये प्रति क्षेत्र सहायक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदादाता के क्षेत्र सहायक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
6. क्षेत्र सहायक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
7. क्षेत्र सहायक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय प्रस्तुत करने होगें।
8. क्षेत्र सहायक को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
9. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. जोधपुर ग्रामीण का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। सभी विवाद को न्यायिक क्षेत्र, जोधपुर न्यायालय ही रहेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र सहायक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
11. संवेदक द्वारा अयोग्य एवं अवयस्क व्यक्तियो को जोब पर नही लगाया जावेगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के क्रम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
12. सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जोब बेसीस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिक की कार्य अवधि स्वतः समाप्त हो जावेगी।
13. क्षेत्र सहायक शारीरिक एवं मानसिक रुप से स्वस्थ होना चाहिए ।
14. क्षेत्र सहायक चिमनी पर चढने व उतरने में सक्षम होना चाहिए।
15. क्षेत्र सहायक को वायु एवं जल उपकरणों को उद्योगो की चिमनी एवं जलाश्यो के नमूनों के एकत्रीकरण एवं अन्य कार्यालय कार्य करने होगे।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	निवास पता मय मोबाईल नं.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ईएसआई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	आधार नं.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील
नाम...

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांकः

प्रयोगशाला परिचारक कार्मिक की सेवायें किराये पर लेने हेतु मांगी जाने वाली निविदा के लिये विशिष्ट नियम एवं शर्ते

1. क्षेत्र सहायक कर्मचारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है।
2. किसी भी प्रयोगशाला परिचारक के अनुपस्थित रहने की दशा में निविदादाता को अन्य प्रयोगशाला परिचारक को तत्काल उपलब्ध करवाना होगा, अन्यथा प्रतिदिन 200 रूपये प्रति प्रयोगशाला परिचारक की दर से शास्ती वसूल की जावेगी जिसे सेवाप्रदाता का स्वयं वहन करना होगा।
3. निविदादाता को श्रम नियम कानून की पालना करनी होगी।
4. सफल बोलीदाता न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार पारिश्रमिक के भुगतान के संबंध में स्वयं जिम्मेदार होगा तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समस्त करों के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व सफल बोलीदाता का होगा। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी की शिकायत प्राप्त होने पर निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा नियमानुसार निविदादाता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
5. निविदादाता के प्रयोगशाला परिचारक की ड्यूटी समय में कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी व नुकसान होने वाली क्षति की क्षतिपूर्ति निविदादाता को करनी होगी।
6. प्रयोगशाला परिचारक का कार्य कुशल न होने, अनुशासन में नहीं रहने, लापरवाही बरतने पर मण्डल निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना होगा।
7. प्रयोगशाला परिचारक को इस प्रयोजनार्थ लिये जाने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. प्रयोगशाला परिचारक के आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई. डी. एवं आयु प्रमाण–पत्र तथा कार्यालय प्रस्तुत करने होगें।
9. किसी भी विवाद में क्षेत्रीय अधिकारी, रा. प्र. नि. म. जोधपुर ग्रामीण का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा। सभी विवाद को न्यायिक क्षेत्र, जोधपुर न्यायालय ही रहेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशाला परिचारक के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी आदेश/नियम निविदादाता को मान्य होगे।
11. संवेदक द्वारा अयोग्य एवं अवयस्क व्यक्तियो को जोब पर नही लगाया जावेगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक के क्रम में सेवाप्रदाता पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। कार्मिक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
12. सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा जॉब बेसीस पर उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिक पूर्णतः अस्थायी होगे तथा अनुबन्ध की समाप्ति होते ही कार्मिक की कार्य अवधि स्वतः समाप्त हो जावेगी।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम	पिता/पति का नाम	योग्यता	निवास पता मय मोबाईल नं.	ईपीएफ पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	ईएसआई पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	आधार नं.

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय सील

नाम.......................................

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांक: 10/07/2026

घोषणा पत्र

खुली बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है वास्तव में खुली–बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred)नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्रत कर किया जा सकेगा तथा ई–बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांक:

Annexure A

Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Signature of bidder with seal

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांक:

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to …………………..for procurement of …………………. in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated ……………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886 - 887 दिनांक: 10/07/2026

Annexure C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is -----------------
----

The designation and address of the Second Appellate Authority is --------------
----

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of theorder passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of bidder with seal

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

Annexure D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

I. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

II. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

III. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder. whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter or procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder with seal

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांक: 10/07/2026

Annexure: E

FINANCIAL UNDERTAKING

I/We have clearly understand all the terms and conditions of the Bid and agreement etc. and agree to undertake the tender document at the rate quoted by me/us at the destinations specificed by department.

I/We will assure that I/We will strictly abide by the terms and conditions of the Bid, agreement and the orders of concerned head of the office from time to time.

I/We will furnish the prescribed performance security amount of 5 % on the total value of the cost of the quantity for supply, within Five (05) days of the acceptance of my/our Bid and enter into agreement.

I/We are well aware of the forfeiture clause in the terms and conditions of the Bid and my/our Bid Security stand forfeited if I/we fail to furnish the prescribed performance security and also enter into agreement within the stipulated time (05 days) of acceptance of my/our bid and I/We will strictly abide by the terms and conditions etc. as per the agreement. In the event of non-fulfillment of contract by me/us, my/our security deposited or any amount available with the department is liable to be forfeited, award of supply contract stand cancelled besides blacklisting me/us.

SIGNATURE OF THE BIDDER
NAME:
ADDRESS:

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांकः

Annexure: F

–: वार्षिक टर्न ओवर स्टेटमेंट :–

हमारी फर्म मैसर्स .... का चार वर्षो का वार्षिक टर्न ओवर निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (लाखों में)
1	2023–24	
2	2024–25	
3	2025–26	

औसत टर्न ओवर :– ....

सी.ए. द्वारा प्रमाणित मय सील
नाम :–
मो0 नं0 :–

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांक: 10/07/2026

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No………………..of…………..
Before the ………………………………..(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
(i) Name of the appellant :
(ii)Official address, if any :
(iii) Residential address :

2. Name and address of the respondent (s):
(i)
(ii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

6. Grounds of appeal :……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

(Supported by an affidavit)

7. Prayer :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Place …………………………
Date …………………………

Appellant's Signature

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ दिनांकः

प्रपत्र ब वित्तीय बोली/प्राईस बिड

कार्य आधारित (जॉब बेसिस) सेवाओं के उपापन के लिये खुली वित्तीय बोली/प्राईस बिडं निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :–

क्र.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या एवं श्रमिकों की श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (प्रतिमाह प्रति ईकाई रु.)	EPFदर	ESIदर	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति इकाई रू.)	प्रति इकाई कुल राशि (अंकों व शब्दों में) कॉलम 7+8+9 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कम्प्युटर मय प्रशिक्षित ऑपरेटर	उच्च कुशल 2	12000/–	13 प्रतिशत (नियोक्ता)	3.25 प्रतिशत (नियोक्ता)				
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	अकुशल 2	10000/–	13 प्रतिशत (नियोक्ता)	3.25 प्रतिशत (नियोक्ता)		–		
3	01 क्षेत्र सहायक	कुशल 1	8034/–	13 प्रतिशत (नियोक्ता)	3.25 प्रतिशत (नियोक्ता)		–		
4	प्रयोगशाला परिचारक	कुशल 1	8034/–	13 प्रतिशत (नियोक्ता)	3.25 प्रतिशत (नियोक्ता)		–		
5	सफाई कर्मचारी (अंशकालीन आधार पर)	अकुशल 1	3705/–	13 प्रतिशत (नियोक्ता)	3.25 प्रतिशत (नियोक्ता)		–		

1. उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या 1 से 6 की पूर्तियां संबंधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेगी तथा शेष कॉलम संख्या 7 से 10 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जायेगी।
2. संविदा कार्मिको को उनके खातों में किये गये भुगतान का प्रमाण पत्र, EPF, ESIऔर GSTजमा के चालानों की प्रति प्रस्तुत करने पर ही आगामी बिल पारित किया जावेगा।
3. निविदा में सर्विस चार्ज की राशि ऋणात्मक तथा शून्य मान्य नहीं होगी। सर्विस चार्ज की राशि निकटतम रूपये में और औचित्य पूर्ण हों।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।
5. श्रमिकों को देय पारिश्रमिक प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील
व मोबाइल नंबर

(जगदीश चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/ 886-887 दिनांकः 10/07/2026

कार्य का नाम :– जॉब बेसिस आधार पर मानव संसाधन हेतु निविदा
निविदा खोलने की तिथि 21.07.2026 व समय दोपहर 02:00 बजे
निविदा सूचना सं0 रा.रा.प्र.नि.मं./क्षे.का.–जोधपुर ग्रामीण/लेखा/2026/ दिनांकः–

तकनीकी निविदा परीक्षण चेक लिस्ट

क्र.सं.	तकनीकी दस्तावेज विवरण	संलग्न है या नही (हां/नही)	संलग्नक क्रमांक	टिप्पणी यदि कोई हो तो
1	निविदा प्रपत्र के समस्त पृष्ठो पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये गये है।			
2	निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की कांट/छांट या उपरिलेखन नहीं हो।			
3	निविदा शुल्क राशि 500/– का डी. डी/बैंकर्स चैक **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Jodhpur Rural (Payable at Jodhpur)** के पक्ष में संलग्न है।			
4	बोली प्रतिभूति राशि 18000/– का डी. डी./बैंकर्स चैक **Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board Jodhpur Rural (Payable at Jodhpur)** के पक्ष में संलग्न है।			
5	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 (लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें)			
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
8	जी. एस. टी. पंजीयन प्रमाण पत्र			
9	पैन कार्ड की प्रतिलिपि			
10	ब्लैक लिस्टेड अथवा डिफॉल्टर नहीं होने संबंधी 100 रूपयें के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र			
11	प्रमाणित बैंक खाता पास बुक/स्टेटमेन्ट की छायाप्रति।			
12	पूर्व या वर्तमान में आप द्वारा जिन संस्थानों (न्यूनतम 3 वर्ष हो) में कार्य किया गया उनकी सूची			
13	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 याइण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गतया इण्डियन कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत			

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर –(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

14	टर्नओवर के समर्थन में सीए द्वारा जारी यूडीआईएन स्टेटमेंट			
15	EPF Confirmation report (Last 3 Months) & ESI Monthly Summary (march. 26 to Jun.2026), 15 व्यक्तियों का अशंदान			
16	Annexure "A" (Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest)			
17	Annexure "B" (Declaration by the Bidder regarding Qualifications Declaration by the Bidder)			
18	Annexure "C" (Grievance Redressal during Procurement Process)			
19	Annexure "D" (Additional Conditions of Contract)			
20	Annexure "E" (Financial undertaking)			
21	Annexure "F" (Annual turn over last fouryear 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26)			

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल–जोधपुर (ग्रामीण)
पता–पुस्तकालय भवन, आफरी परिसर, न्यु पाली रोड, जोधपुर
Email-rojodhpurrural@gmail.com ✆ 0291-2971533

LiFE Lifestyle for Environment

क्रमांक :– राप्रनिम–/सामा.15/खुली निविदा–01/26–27/886-887 दिनांक: 10/07/2026

निविदादाता द्वारा घोषणा पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैनें/हमने बोली की समस्त जानकारी/शर्तो का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है एवं वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा RTPP अधिनियम की धारा 46 एवं RTPP नियम के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार यां इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नही है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं, रद्द कर दिया जायें।

निविदादाता/बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

1. निविदादाता का नाम :– ....
   मोबाईल नम्बर :– ....
2. पूर्ण पता :– ....
   ....
   ....
3. टेलीफोन नम्बर (निवास) :– ....
   (कार्यालय) : ....

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
जोधपुर -(ग्रामीण)